कार्यालय ज्ञाप

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिए वार्षिक स्थानान्तरण अधिनियम सत्र 2017 में प्राविधानित व्यवस्था के अन्तर्गत शासनादेश संख्या–12/XXXVI(3)/2018/20(1)2017 दिनांक 05.01.2018 के क्रम में वर्तमान स्थानान्तण सत्र 2025–26 में कार्मिकों के अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु प्रत्येक संवर्ग (चतुर्थ श्रेणी संवर्ग को छोड़कर) सुगम–दुर्गम के कार्यस्थलों, स्थानान्तरण हेतु पात्र अधिकारियों/कर्मचारियों तथा उपलब्ध एवं सम्भावित रिक्तियों की सूची उत्तराखण्ड/विभागीय वैबसाइट में अपलोड की जा चुकी है।

सुगम से दुर्गम तथा दुर्गम से सुगम में अनिवार्य स्थानान्तरण हेतु पात्र अधिकारियों/कर्मचारियों की अपलोड सूची में अंकित वास्तविक एवं सम्भावित रिक्तियों में से तैनाती/स्थानान्तरण हेतु वरीयताक्रम में इच्छित अधिकतम 10 विकल्प स्थानान्तरण हेतु अपने नियंत्रणाधिकारी के माध्यम से निदेशालय को दिनांक 15.05.2024 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। इस तिथि के उपरान्त प्राप्त विकल्पों पर इस स्तर से कोई विचार नहीं किया जायेगा।

उक्त के अतिरिक्त अधिनियम में अनिवार्य स्थानान्तरण में वर्णित छूट की श्रेणी में आने वाले कार्मिक स्थानान्तरण में छूट के सम्बन्ध में नियमानुसार स्वयं का प्रार्थना पत्र, सक्षम स्तर से जारी प्रमाण पत्र/साक्ष्य उचित माध्यम से उपलब्ध करायें ताकि तद्नुसार अग्रेत्तर कार्यवाही की जा सके।

(के0सी0पाठक)
कृषि निदेशक,
उत्तराखण्ड

कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड़, देहरादून

पत्रांकः– कृ0नि0/232 /स्था0अनु0–1/वार्षिक स्था0अधि0/2025–26/दिनांक 16/04/2025
प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (स्थापना), कृषि निदेशालय, उत्तराखण्ड को उक्तानुसार परिपालनार्थ।
2. समस्त कार्यालयाध्यक्ष, कृषि विभाग को इस आशय से कि वे उक्तानुसार अवगत होते हुए अपने अधीन कार्यरत समस्त कार्मिकों को भी अवगत कराते हुये आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।

कृषि निदेशक,
उत्तराखण्ड

पत्रांकः– कृ0नि0/ /स्था0अनु0–1/वार्षिक स्था0अधि0/2025–26/दिनांक
प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, देहरादून की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।
2. समस्त जिलाधिकारी, (भूलेख अनुभाग)उत्तराखण्ड की सेवा में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।
3. सचिव, कृषि एवं कृषक कल्याण, उत्तराखण्ड शासन की सेवा में सादर सूचनार्थ एवं संज्ञानार्थ प्रेषित।

कृषि निदेशक,
उत्तराखण्ड